न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 115/2017
प्रविष्टि दिनांक 12.12.2017

लड्डू पुत्र छीतर जाति मीना निवासी मोहम्मदगढ तहसील उनियारा जिला टोंक राज0
—अपीलांट

बनाम

नायब तहसीलदार बनेठा जिला—टोक
—रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय नायब तहसीलदार बनेठा दिनांक 24.10.2017 मिसल नम्बर 1499/2017

उपस्थिति : (1) श्री राजकुमार मीणा,अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री मजहर आलम, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय **दिनांक** 16.02.2023

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बनेठा ने अपने निर्णय दिनांक 24.10.2017 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 364 मे रकबा 0.91 है0,खसरा नम्बर 376 मे 0.19 है0 किता—2 रकबा 1.10 है0 मे से 0.09 है0किस्म गै0मु0पाल/बारानी—2 वाके ग्राम मोहम्मदगढ तहसील उनियारा में राजकीय भूमि पर कच्चा मकान, बाडा व फसल काश्त कर अतिक्रमण करने के कारण पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने, 86/रू. पेनल्टी कायम कर 60 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार बनेठा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर अपीलांट की प्रोपर तामिल नही हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित किया है। अपीलांट द्वारा किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नही किया है। पटवारी हल्का द्वारा रंजिशवश गलत रिपोर्ट पेश की है,जो मौके की वास्तविक स्थिति के काफी विपरित है। पटवारी हल्का द्वारा मौका का निरीक्षण भी नही किया गया है। अपीलांट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण नही है। अपीलांट द्वारा दिनांक 28.12.2017 को ही अतिक्रमण नही होने बाबत शपथ पत्र न्यायालय मे पेश किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई सक्षम साक्ष्य प्रदर्शित नही करवायी गई है। पटवारी हल्का ने किस तारीख को रिपोर्ट तैयार की का भी रिपोर्ट मे उल्लेख नही है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

न्यायालय जिला कलेक्टर सत्यमेव जयते टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्ट को विवादित भूमि खसरा नम्बर नम्बर 364 मे रकबा 0.91 है0,खसरा नम्बर 376 मे 0.19 है0 किता–2 रकबा 1.10 है0 मे से 0.09 है0किस्म गै0मु0पाल/बारानी–2 वाके ग्राम मोहम्मदगढ तहसील उनियारा में राजकीय भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर कच्चा मकान, बाडा व फसल काश्त कर अतिक्रमण करने पर नायब तहसीलदार बनेठा द्वारा भूमि से बेदखल करने, पेनल्टी कायम करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है, जिस पर अपीलान्ट की विधिवत तामील हुई है,परन्तु अपीलान्ट्स न्यायालय में उपस्थित नही हुये है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जो पटवारी रिपोर्ट एंव बयानो से सिद्व है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है ओर राजकीय भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलाण्ट की और से कमलेश की तामील हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नही हुये है। अपीलान्ट द्वारा भूमि खसरा नम्बर नम्बर 364 मे रकबा 0.91 है0,खसरा नम्बर 376 मे 0.19 है0 किता–2 रकबा 1.10 है0 मे से 0.09 है0किस्म गै0मु0पाल/बारानी–2 वाके ग्राम मोहम्मदगढ तहसील निवाई पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर कच्चा मकान, बाडा व उडद की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया है,जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एंव बयानो से सिद्व है। अपीलांट ने दिनांक 28.12.2017 को उक्त भूमि पर कब्जा नही होने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया है,परन्तु तहसीलदार नगरफोर्ट ने पत्र कमांक 54/रीडर/2022 दिनांक 01.02.2023 से प्रेषित मौका रिपोर्ट मे अपीलांट का उक्त आराजीयात पर कब्जा होना अंकित किया है। (वर्तमान मे मोहम्मदगढ तहसील नगरफोर्ट का राजस्व ग्राम है) अतिक्रमी बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है और राजकीय भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बनेठा का निर्णय दिनांक 24.10.2017 यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर, टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)